राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5 (थ–75)डीटीए / IFMS/WAM-XIV/ 42 दिनांक 3.4.25

समस्त
विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी / पी.डी. खाताधारक।

विषयः– **आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत पूल बजट से वित्तीय वर्ष 2024–25 के लंबित बिल भुगतान की प्रक्रिया के क्रम में।**

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभिन्न स्तरों पर लंबित रहे बिलों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है :–

1. निर्माण विभागों/खण्डो के गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कोषालयों द्वारा पारित होने के उपरान्त भुगतान से रह गये बिलों / टोकन के उपरान्त पारित नहीं किए गए बिलों को टोकन दिनांक की प्राथमिकता के आधार पर नए वित्तीय वर्ष में पुनः प्रेषण के साथ IFMS पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

2. अन्य समस्त श्रेणियों के कोषालयों से टोकन अथवा पारित होने के पश्चात भुगतान से शेष रहे बिलों को टोकन दिनांक की प्राथमिकता के आधार पर आहरण वितरण अधिकारियों /पी.डी. खाताधारकों को पुनः प्रेषण हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा। इस प्रक्रिया में एफ.वी.सी. बिलों के साथ सिस्टम में स्वीकृति संख्या एवं दिनांक का नियंत्रण स्थापित है। **आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा यह अपेक्षित होगा कि वे समान इनवाईस नम्बर एवं स्वीकृति संख्या एवं दिनांक के विरूद्ध परिवर्तित इनवाईस नम्बर एवं स्वीकृति संख्या एवं दिनांक से नया बिल नहीं बनायें अन्यथा दोहरे भुगतान/ अनियमित भुगतान के लिए उनका दायित्व निर्धारित किया जायेगा।**

3. समस्त विभागाध्यक्षों व विभागों में पदस्थापित वित्तीय सलाहकारों (वरिष्ठतम लेखाधिकारियों) से यह अपेक्षित होगा कि उनके अधीनस्थ आहरण बिल अधिकारी / पीडी खाताधारक / निर्माण खण्ड गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के बिल पुनः प्रेषण करते समय नवीन बजट मदों को ही उपयोग किया जाए तथा भुगतान का दोहराव किसी भी परिस्थिति में न हो।

4. कोष प्रणाली में वित्तीय वर्ष 2024–25 के Cancel किए गए Token से लौटाये गए बिलों की कोषवार–डीडीओ कोड के अनुसार सूचना उपलब्ध रहेगी जिसे राजकोष के Home page पर देखा जा सकता है।

भवदीय

(बृजेश किशोर शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS/WAM-XIV/ ५२ दिनांक 03/04/25

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वित्तीय सलाहकार, समस्त विभाग।
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., शासन सचिवालय, जयपुर को सिस्टम में आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किए जाने बाबत।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, समस्त
5. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर सैल) वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को साईट पर अपलोड किए जाने बाबत।

अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन
परियोजना निदेशक (IFMS)